

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई०ए०एस०

फौजदारी विविध प्रकरण संख्या 01/2023,

GCMS NO 2023/195

सायल

बनाम

गैरसायल

जिला पुलिस अधीक्षक,
बाड़मेर (वर्तमान बालोतरा)

श्री पुनमाराम पुत्र भेराराम, जाति
जाट, निवासी पुनियों का तला,
पुलिस थाना गिड़ा, जिला
बालोतरा।

परिवाद अन्तर्गत धारा 2/3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975


- उपस्थित:- 1. श्री अभियोजन अधिकारी सायल की ओर से।
2. श्री ओमसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता गैर सायल की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 23.12.2025

- सायल की ओर से गैर सायल श्री पुनमाराम पुत्र भेराराम, जाति जाट, निवासी पुनियों का तला, पुलिस थाना गिड़ा, जिला बालोतरा के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2/3 के अन्तर्गत परिवाद दिनांक 19.09.2022 को न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर व दिनांक 11.12.2023 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- इस्तगासा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि गैर सायल बदमाश व शराबी प्रवृत्ति का व्यक्ति है इसकी आपराधिक गतिविधियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है जिस पर अंकुश लगाना निहायत ही जरूरी है। यह शक्स ताश के पत्तों पर रुपये दांव पर लगाकर जुए खेलता है जिसमें एक को लाभ व अन्य को हानि होने से आपस में प्रायः मारपीट व झगड़े होते रहते हैं जिससे सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त होता है। ऐसे बदमाश व समाज कंटक का समाज में रहने से और भी नये लड़के इसकी संगत में आकर अपराध कर सकते हैं। ऐसे गुण्डा तत्व को जिले से बेदखल करना निहायत ही आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति इस बदमाश का विरोध करता है, तो यह बदमाश अपने सहयोगियों की सहायता से उसको धमकाता है तथा इस बदमाश से आमजन इतना भयभीत हैं कि इसके खिलाफ गवाही देने से कतराता है, अथवा रिपोर्ट करने के लिए कोई भी सामने नहीं आता है। उक्त शक्स गैर सायल




जिला कलक्टर
बालोतरा

राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2 के खण्ड (iii) में परिभाषित श्रेणी में आता है। इसके विरुद्ध निम्न मुकदमे दर्ज होकर निस्तारित हुए हैं-

क्र. सं.	मु. न. व दिनांक	धारा	पुलिस थाना	चालान नं. व दिनांक	न्यायालय निर्णय
1	360/08.07.2012	19/54 Excise Act	आबकारी अधिनियम पुलिस थाना बालोतरा	161/31.07.2012	पैण्डिंग कोर्ट
2	540/20.10.2012	19/54 Excise Act	आबकारी अधिनियम पुलिस थाना बालोतरा	245/03.11.2012	सजा/21.11.2013
3	266/24.05.2013	19/54 Excise Act	आबकारी अधिनियम पुलिस थाना बालोतरा	142/31.06.2013	सजा/13.08.2013
4	517/20.10.2023	19/54 Excise Act	आबकारी अधिनियम पुलिस थाना बालोतरा	279/29.10.2013	पैण्डिंग कोर्ट
5	100/09.03.2014	19/54 Excise Act	आबकारी अधिनियम पुलिस थाना बालोतरा	79/31.03.2014	सजा/16.06.2015

उक्त अपराधिक प्रकरणों के आधार पर गैर सायल को बालोतरा जिले से बाहर निष्कासन किये जाने का निवेदन किया।

- सायल की ओर से प्रस्तुत इस्तगासा दर्ज रजिस्टर होकर गैर सायल को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये गैर सायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(1) के तहत नोटिस जारी किया।
- गैर सायल के अधिवक्ता द्वारा नोटिस का जवाब पेश कर जाहिर किया कि गैर सायल किसी भी गिरोह का सदस्य नहीं है तथा न ही किसी गिरोह के मुखिया के रूप में अपराध करने का अभ्यस्त हैं। गैर सायल ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिससे आम जन गैर सायल के अपराध की वजह से डरी व सहमी हुई है। सायल की ओर से गैर सायल के विरुद्ध एकदम झूठा व नाहक परेशान करने की नीयत से यह परिवाद प्रस्तुत किया गया हैं। अप्रार्थी के विरुद्ध 11 साल पूर्व के दर्ज मुकदमों के बारे में बताया गया है व गलत दर्ज करवाया है। राजस्थान गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के तहत अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ छ महीने के अंदर तीन मुकदमों दर्ज होते है या तीन मामलों सजा या जुर्माना होता है, तो उस पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाही की जाती है। अप्रार्थी के विरुद्ध पिछले छ माह में कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ हैं। इसके अलावा वर्ष 2014 के बाद कोई प्रकरण भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य अधिनियम के तहत बालोतरा या इसके बाहर किसी भी थाना में दर्ज नही हुआ हैं और न ही गैर सायल को दोषी ठहराया गया हैं। इस प्रकार गैर सायल की कोई भी गतिविधि राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2(ख) की उप धारा 7 व 8 के अन्तर्गत नहीं आती हैं। अतः गैर सायल के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही निरस्त फरमाई जाए।




जिला कलक्टर
बालोतरा

विद्वान अभियोजन अधिकारी बालोतरा का यह तर्क है कि गैर सायल आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होना पाया गया है, इसके विरुद्ध आबकारी अधिनियम के ही अपराध दर्ज हुए हैं जिसमें न्यायालय द्वारा जुर्माना से दण्डित किया गया है। साथ ही कथन किया कि सायल से गैर सायल की वर्तमान गतिविधियों एवं चाल-चलन की रिपोर्ट ली गई जिसमें गैर सायल के विरुद्ध उपर्युक्त उल्लेखित प्रकरणों के अलावा कोई प्रकरण दर्ज रजिस्टर होना नहीं बताया एवं आपराधिक गतिविधि शांत पाई गई है। अभियोजन अधिकारी के तर्कों का खण्डन करते हुए विद्वान अधिवक्ता गैर सायल का तर्क है कि पुलिस इस्तगासा में गैर सायल के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों में लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकारोक्ति पर मामूली जुर्माना आरोपित किया गया है। राजस्थान गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के तहत अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ छ महीने के अंदर तीन मुकदमें दर्ज होते हैं या तीन मामलों सजा या जुर्माना होता है, तो उस पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाही की जाती है। इसके अलावा वर्ष 2014 के बाद कोई प्रकरण भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य अधिनियम के तहत बालोतरा या इसके बाहर किसी भी थाना में दर्ज नहीं हुआ है और न ही गैर सायल को दोषी ठहराया गया है। सायल की ओर से गैर सायल के विरुद्ध एकदम झूठा व नाहक परेशान करने की नियत से यह परिवाद प्रस्तुत किया गया है। इसलिये गैर सायल के विरुद्ध कार्यवाही निरस्त की जाए।

6. हमने उभय पक्ष की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि गैर सायल के विरुद्ध धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 का आरोप है राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2 के खण्ड (III) के अनुसार राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (1950 का राजस्थान अध्यादेश संख्या 11) के अधीन कम से कम दो बार सिद्ध दोष ठहराया जाने पर एवं इस धारा में दिये गये स्पष्टीकरण अनुसार अपराध या कार्य करने का दोषी पाया गया हो तो ही उक्त अधिनियम के तहत उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रावधान है। सायल द्वारा प्रस्तुत परिवाद अनुसार गैर सायल के विरुद्ध 5 आपराधिक प्रकरण दर्ज होकर प्रकरणों में सम्बन्धित न्यायालय द्वारा जुर्माना अधिरोपित करते हुए निर्णय किये गये हैं, इसके बाबत अधिवक्ता गैरसायल का कथन है कि उक्त प्रकरण लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकारोक्ति द्वारा निस्तारित हुए हैं। सायल की ओर से गैर सायल के विरुद्ध वर्ष 2014 के बाद कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही गैरसायल के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी अधिनियम के तहत अपराध का प्रकरण दर्ज होना रिकॉर्ड पर नहीं आया है। साथ ही सायल पुलिस



जिला कलेक्टर
बालोतरा

अधीक्षक बालोतरा द्वारा अपने पत्र क्रमांक 3436 दिनांक 02.12.2025 द्वारा गैर सायल की वर्तमान गतिविधियों एवं अन्य प्रकरणों बाबत प्रस्तुत रिपोर्ट में गैर सायल की आपराधिक गतिविधियाँ शांत होना तथा 6 माह के भीरतर कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होना नहीं पाया गया, होना बताया है। ऐसी स्थिति में अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर गैर सायल के विरुद्ध आरोपित, आरोप अधिनियम धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (iii) एवं स्पष्टीकरण में वर्णित अनुसार दोनों स्थितियां विद्यमान होना प्रमाणित नहीं पाया जाता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष गैर सायल को जिले से बाहर निष्कासित किये जाने का कोई सबूत प्रमाणित नहीं हुआ है। अतः गैरसायल के विरुद्ध जारी नोटिस धारा 3(1) खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर
बालोतरा